कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति:- श्री सुनील कुमार,कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :- **सर्वश्री बृज बिहारी लाल नरायन दास , सुभाष मार्ग,लखनऊ।**

प्रार्थनापत्र संख्या:- 35/2008

प्रार्थी की ओर से:- श्री एस0सी0 रस्तोगी ,फर्म अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अर्न्तगत निर्णय

1- **सर्वश्री बृज बिहारी लाल नरायन दास , सुभाष मार्ग,लखनऊ** के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 2-2-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित है :-

" इमली और मखाने पर कर की दर क्या होगी " ?

2- धारा-59 के प्रार्थनापत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या-727 दिनांक 06-02-2008 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,लखनऊ जोन,लखनऊ से आख्या मॉगी गयी,जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नियत तिथि 27-02-2008 पर श्री एस0सी0 ,फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये ।उन्होने तर्क किया कि इमली का प्रयोग मसाले के रुप में होता है तथा मखाना सूखे मेवे के रुप में जाना जाता है अत: यह दोनों वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अर्न्तगत जारी विज्ञप्ति संख्या- केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 तथा विज्ञप्ति संख्या - 67 दिनांक 10-1-2008 की अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक -116 के अन्तर्गत आयेगी । अत: इन पर कर की दर 4% होनी चाहिए।

4- मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,लखनऊ जोन,लखनऊ से प्राप्त आख्या तथा अभिलेखों का अवलोकन किया । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अर्न्तगत जारी विज्ञप्ति संख्या- केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 तथा विज्ञप्ति संख्या - 67 दिनांक 10-1-2008 की अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक -116 की प्रविष्टि निम्न प्रकार है:-

116	Spices and condiments of all kinds including cumin seeds, turmeric, ajwain, haldi, dhania, hing, methi, sonth, kalaunji, saunf, khatai, amchur, long-patta, dal-chini, tej-patta, javitri, jaiphal, pepper, elaichi of all kind, dried chillies, kankaul mirch, ararote, mushroom, khumba and guchchi, gola, goley ka burada, seik narial, til, rai, postadana, magaj of all kinds, kesar, **dry fruits, soyabean bari and soyabean mungauri.**

जहॉ तक इमली के वर्गीकरण का सम्बन्ध है मिनिस्ट्री आफ कामर्स के वेवसाइट पर स्पाइसेस बोर्ड आफ इण्डिया के द्वारा जो मसाले की सूची डाली गयी है उसमें इमली [Tamarind]का स्पष्ट उल्लेख है अत: मसालो को इमली की श्रेणी में मानना न्यायोचित है और इस पर कर की दर 4% होगी ।जहॉ तक मखाने का सम्बन्ध है यह सामान्य जानकारी के अनुसार ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है । जब मखाने को पफ्ड आफ कर दिया जाता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वश्री मोहनी फूड प्रोडक्ट ,कानपुर के मामलो में धारा-35 के प्रार्थना पत्र संख्या-11/95 का निर्णय दिनांक 19-10-95 को दिया गया था जिसमें पफ्ड मखाने को ड्राई फ्रूट की श्रेणी मे माना गया है अत: पफ्ड मखाने पर कर की दर 4% होगी।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक- 29 , फरवरी,2008

ह0 29-2-08

(सुनील कुमार)

कमिश्नर,वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश।

डि० स० ग्रे-I

प्रमाणित प्रतिलिपि

धारा-59 अनु०